राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

पत्रांक : प.10(60) परि/PP/2012 जयपुर, दिनांक 19.04.2012

कार्यालय आदेश ...05... /2012

विषय :– राज्य में अवैध रूप से खनन किये गये खनिजों के परिवहन में प्रयुक्त तथा क्षमता से अधिक माल ले जाने वाले भार वाहनों के संचालन के विरूद्ध सख्त कार्यवाही एवं इस हेतु विशेष अभियान दिनांक 23.04.2012 से 15.06.2012 के संबंध में ।

प्रसंग :– मुख्य सचिव महोदय का पत्रांक प 20(12) खान /ग्रुप–2/09 दिनांक 9.4.12 तथा सचिव, खान विभाग का नोट दिनांक 12.04.2012

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा मुख्य सचिव महोदय ने निर्देश दिये है कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व में समय–समय पर दिये गये निर्देशों के बावजूद भी राज्य में अवैध खनन तथा उसके परिवहन के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही नहीं होने से विभिन्न न्यायालयों द्वारा प्रतिकूल टिप्पणियां की जा रही है। अतः अवैध खनन पर प्रभावी रोकथाम हेतु राज्य में पुलिस, खान, वन, राजस्व, परिवहन आदि विभागों के अधिकारियों/ कर्मचारियों को सम्मिलित करते हुए दिनांक 23.04.2012 से 15.06.2012 तक विशेष अभियान चलाया जायेगा। उक्त अभियान की कार्यवाही का विवरण संलग्न प्रारूप में तैयार किया जाकर वन क्षेत्रों के संबंध में वन विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर को तथा गैर वन क्षेत्र के संबंध में खान विभाग के अधिकारियों के द्वारा निदेशक, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, उदयपुर को प्रेषित करते हुए जिला कलेक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक को प्रति पृष्ठांकित की जावेगी।

अभियान के दौरान अवैध खनन में लिप्त पाये गये व्यक्तियों एवं वाहनों के विरूद्ध संबंधित विभागों द्वारा संबंधित नियमों के अन्तर्गत सख्त कार्यवाही की जावे ताकि अवैध खनन प्रभावी रूप से बन्द हो सके और भविष्य में अवैध खनन की संभावना ना रहे। इस हेतु जिला कलक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा निरन्तर पर्यवेक्षण भी किया जावेगा तथा यदि किन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों की अवैध खनन में लिप्तता पायी जावे या अभियान के दौरान पूर्ण रूचि व सहयोग ना मिले तो संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही भी करने के निर्देश दिये हैं।

अतः समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे तथा उनके अधीन परिवहन विभाग का संबंधित स्टाफ उक्त अभियान में पूर्ण रूचि लेकर तथा जिला कलक्टर के निर्देशन एवं समन्वय अनुसार प्रभावी कार्यवाही करें।

इस संबंध में ध्यान देने योग्य है कि अनाधिकृत खनिज परिवहन करने वाले भार वाहन के अनुज्ञापत्रधारी के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम,1988 की धारा 79 (2) सपठित राजस्थान मोटर यान नियम,1990 के नियम 5.19 (ए)(4) के अनुसार अनुज्ञापत्रों की शर्तो का उल्लंघन मानते हुए सुनवाई का अवसर दिया जाकर मोटर यान अधिनियम,1988 की धारा 86 (1)(ए) के तहत कार्यवाही की जावे। उक्त उल्लंघन के अलावा यदि ओवरलोडिंग का अपराध भी पाया जावे तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194 के तहत अनुज्ञापत्रधारी, ओवरलोड हेतु प्रेरित/बाध्य करने वाले व्यक्ति यथा ट्रांसपोर्ट कम्पनी तथा वाहन चालक आदि के विरूद्ध भी नियमानुसार सक्षम न्यायालय में अभियोजन की कार्यवाही की जावे। तथा क्षमता से अधिक माल को उतारने के पश्चात ही भार वाहन को गंतव्य के लिए जाने की अनुमति दी जावे।

मोटरयान अधिनियम,1988 की धारा 19 (1)(सी) में यह भी प्रावधान है कि यदि कोई वाहन चालक अपने वाहन को किसी संज्ञेय अपराध (Cognizable Offence) करने के लिये काम में लेते हुए पाया जाता है तो उसका ड्राईविंग लाइसेन्स अनुज्ञप्ति अधिकारी द्वारा प्रत्याहारित (Revoke) किया जा सकता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान माइनर मिनरल्स कंसेशन रूल्स,1986 क नियम 48 में संशोधन कर अवैध रूप से खनन किये गये खनिज पदार्थों यथा बजरी आदि का परिवहन करना/करवाना दोनो को संज्ञेय अपराध (Cognizable Offence) बना दिया गया है। अतः निर्देशित किया जाता है कि अवैध रूप से खनन किये गये खनिजों यथा बजरी आदि का परिवहन संबंधी अपराध कारित होना पाया जाता है तो उक्त वाहन के वाहन चालक के लाईसेंस को नियमानुसार प्रत्याहारित(Revoke) करने की कार्यवाही की जावें।

उक्त निर्देशों की सख्ती से पालना की जावें। यदि इन निर्देशों की पालना में शिथिलता पायी जाती है तो संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

19/4/2012
परिवहन आयुक्त एवं
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय परिवहन राज्यमंत्री, राजस्थान सरकार
2. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर
3. अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.)/ अपर परिवहन आयुक्त (स.सु.)
4. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण
5. समस्त प्रादेशिक/ जिला परिवहन अधिकारी
6. सिस्टम एनालिस्ट/ एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, परिवहन विभाग, जयपुर
7. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (स.सु.)
19/4/12